(भारत के राजपत्र भाग II खण्ड ३, उपखण्ड (i) में प्रकाशनार्थ)

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)

नई दिल्ली, २८ अगस्त, २००३

अधिसूचना

सा.का.नि. ३१७ ---- सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई (श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम), २००२ का एक प्रारुप, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ की धारा ३ की अपेक्षानुसार भारत के राजपत्र, भाग I खण्ड ३, उपखण्ड (i) तारीख ४ जनवरी, २००३ के पृष्ठ ३ से ११ पर सा.का.नि. सं० ६ तारीख १८ दिसम्बर, २००२ द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, प्रकाशित किया गया था ।

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को ११ जनवरी, २००३ को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त प्रारुप नियमों की बाबत जनता से प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर सम्यक रुप से विचार कर लिया है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, कृषि उपज (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ की धारा ३ द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

नियम

१. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भः-** (१) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) नियम, २००३ है ।

(२) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

२. **परिभाषाएंः-** इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "कृषि विपणन सलाहकार" से भारत सरकार, कृषि विपणन सलाहकार अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत पैकर" से अभिप्रेत है ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय जिसे इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई का श्रेणीकरण और चिन्हांकन करने के लिए प्राधिकार प्रमाणृ-पत्र अनुदत्त किया गया है;

(ग) "प्राधिकार प्रमाण-पत्र" से साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के अधीन जारी किया गया प्रमाण-पत्र अभिप्रेत है;

(घ) "सिवैंया मैकरोनी और मोटी सेंवई" से जैसे खाद्य मूंगफली आटा, खाद्य टैपियोका आटा, सोया आटा, दुग्ध पाउडर (सम्पूर्ण और मलाई युक्त दोनों) मसाले, विटामिनों, खनिजों, खाद्य केसीन,

---२

खाद्य तिलहन आटा, ग्लूटेन, वनस्पति या वनस्पति उत्पादों, फलों या फल उत्पादों (परिरक्षित, निर्जलीकृत या लुगदी) के तत्वों को किसी आकार या रुप में मिलाकर या बिना मिलाए सूजी या मैदा से अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत है । यह उत्पाद ऐसी कच्ची सामग्री और ऐसी क्वालिटी के तत्वों से प्राप्त किया जाएगा जो खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५४ (१९५४ का ३७) और खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५५ की आज्ञापक अपेक्षाओं को पूरा करते हों;

(ड.) "श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियमों" से कृषि उत्पाद (श्रेणीकरण और चिन्हांकन) अधिनियम, १९३७ (१९३७ का १) की धारा ३ के अधीन बनाए गये साधारण श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ (समय-समय पर संशोधित) अभिप्रेत हैं;

(च) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

३. **श्रेणी अभिधानः-** सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई की क्वालिटी उपदर्शित करने के लिए वे श्रेणी अभिधान होंगे जो अनुसूची २ के स्तम्भ १ में दिये गये हैं ।

४. **क्वालिटी की परिभाषाः-** ऐसे श्रेणी अभिधान द्वारा उपदर्शित क्वालिटी वह होगी जो अनुसूची २ के स्तम्भ २ से ९ तक में प्रत्येक श्रेणी अभिधान के सामने दी गई है ।

५. **श्रेणी अभिधान चिन्हः-** श्रेणी अभिधान चिन्ह में "एगमार्क" शब्द, वस्तु का नाम और श्रेणी अभिधान होगा जो अनुसूची-१ में यथा-उपवर्णित डिजाइन से सदृश होगा ।

६. **पैक करने की रीतिः-** (१) सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई बहुपरत या एक परत पोलीथिलीन/ प्रोपिलीन या धात्विक या कागज स्तरित सामग्री की ऐसी खाद्य श्रेणी फिल्मों से बने लचीले ताप सुनम्य आधानों में या नमी रोधी कागज की थैलियों में पैक की जाएंगी, जो श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, के नियम, ११ के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित हों ।

(२) लचीले ताप सुनम्य आधान को नाइट्रोजन फ्लशिंग के सहित या उसके बिना तापसुनम्यतापूर्वक सुरक्षित रुप से तापीय सील बंद किया जाएगा ।

(३) पैकिंग सामग्री खाद्य क्वालिटी की इतनी मजबूत होगी कि वह उसके उपभोक्ता तक पहुंचने तक अन्तर्वस्तु के वजन, उसके परिवहन प्रभाव और उठाई-धराई को प्रतिसहन कर सके ।

(४) आधान स्वच्छ, मजबूत और नए होंगे । ये पूर्णतः या अंशतः किसी ऐसे विषैले या हानिकारक पदार्थों से संरचित नहीं होंगे जो अन्तर्वस्तु को स्वास्थ्य के लिए अहितकर बनाते हैं ।

(५) आधान उत्पाद की स्वच्छता संबंधी, पोषण संबंधी, प्रौद्योगिकीय और इंद्रीयग्राही गुणवत्ताओं को सुरक्षित रखेंगे ।

(६) आधान कीट ग्रसन, कवक संदूषण या किसी घृणाजनक और अवांछनीय गंध से भी मुक्त होंगे ।

(७) उत्पाद कृषि विपणन सलाहकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार पैक आकारों में पैक किया जाएगा ।

(८) एक लॉट/बैच से एक ही श्रेणी अभिधान की श्रेणीकृत सामग्री वाले उपभोक्ता पैकों की उपयुक्त संख्या को किसी कागज या पोलिथिन या प्रोपिलीन स्तरित मजबूत कार्ड बोर्ड बाक्स जैसे बड़े

आधान में रखा जाए और सुरक्षित रुप से सील बंद किया जाए । मास्टर आधान के अंदर पैक किये गये पैकजों की संख्या और आकारों की विशिष्टियों को भी अन्य अपेक्षित सूचना के साथ उस पर उल्लेख किया जाएगा ।

७. चिन्हांकन की रीतिः- (१) श्रेणी अभिधान चिन्ह श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, के नियम ११ के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित रीति में प्रत्येक पैकेज/आधान पर सुरक्षित रुप से चिपकाया जाएगा या स्पष्ट रुप से और अमिट रुप से मुद्रित किया जाएगा ।

(२) श्रेणी अभिधान के अतिरिक्त निम्नलिखित विशिष्टियां प्रत्येक पैकेज/आधान पर स्पष्ट और अमिट रुप से चिन्हित की जाएंगी, अर्थात :-

(क) प्राधिकृत पैकर का नाम और पता;

(ख) *पैकिंग का स्थान/विनिर्माता का पता;

(ग) पैकिंग की तारीख;

(घ) --------- मास और ---------वर्ष के भीतर, से पूर्व सर्वोत्तम;

(ड.) लॉट/बैच संख्यांक;

(च) शुद्ध भार (जब पैक किया गया हो);

(छ) अधिकतम फुटकर कीमत (सभी करों सहित);

(ज) भार के आधार पर सम्मिश्रण के अवरोही क्रम में उत्पाद में उपयोग में लाए गए तत्वों के नाम;

(झ) उपयोग में लाए गये खाद्य तेल का नाम, यदि उपयोग में लाया गया है;

(ण) कुकिंग अनुदेश;

(ट) समय-समय पर यथा संशोधित बाट और माप मानक (पैकेज में रखी गई वस्तुएं) नियम, १९७७ और खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ के अधीन अपेक्षित कोई अन्य ब्यौरे;

(ठ) यदि मसाले मिलाए गये हैं तो ‘मसालायुक्त’ शब्द लेबल पर दिया जाए ।

(३) यह सुनिश्चत करने के लिए समुचित ध्यान रखा जाएगा कि चिन्हांकन के लिए उपयोग में लाई गई स्याही ऐसी क्वालिटी की होगी जो वस्तु या उत्पाद संदूषित नहीं करती ।

(४) प्राधिकृत पैकर, कृषि विपणन सलाहकार या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी के पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, के नियम ११ के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों पर अपना प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड लगा सकेगा परन्तु यह तब जब कि प्राइवेट व्यापार चिन्ह या व्यापार ब्रांड इन नियमों के अनुसार श्रेणीकृत पैकेजों या आधानों पर लागए गए श्रेणी अभिधान चिन्ह द्वारा उपदर्शित से भिन्न उत्पाद की क्वालिटी या श्रेणी उपदर्शित नहीं करता है ।

८. प्राधिकार प्रणाम-पत्र प्रदान करने के लिए विशेष शर्तेः- श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, के नियम ३ के

----४

*पैकिंग की तारीख नमूनों के विश्लेषण के समापन की तारीख होगी ।

उप-नियम (८) में विनिर्दिष्ट साधारण शर्तों के अतिरिक्त सिवैंया, मैकरोनी और मोटी संेवई के श्रेणीकरण और चिन्हांकन के लिए प्राधिकार प्रमाण-पत्र की मंजूरी के लिए अतिरिक्त शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात् :-

(१) प्राधिकृत पैकर, श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, के नियम ९ के अनुसार सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई की क्वालिटी के परीक्षण के लिए कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा अनुमोदित अर्हित रसायनज्ञ द्वारा संचालित अपनी प्रयोगशाला की स्थापना करेगा या इस प्रयोजन के लिए राज्य श्रेणीकरण प्रयोगशाला या अनुमोदित प्राइवेट वाणिज्यिक प्रयोगशाला में पहुंच रखेगा ।

(२) प्राधिकृत पैकर सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई के श्रेणीकरण और चिन्हांकन में स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता की निम्नलिखित अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करेगा, अर्थात्:-

(१) साधारण स्वास्थ्यकर परिस्थितियां —

(क) प्रसंस्करण और पैकिंग के लिए परिसर स्वच्छ, पक्के फर्श वाले, पर्याप्त रुप से प्रकाश वाले और अच्छे रोशनदान वाले होंगे ।

(ख) आस-पास का क्षेत्र या वातावरण आपत्तिजनक दुर्गन्ध, धुंआ, धूल या वायु उत्पन्न विकृतिजन्य संदूषणों से मुक्त होगा ।

(ग) बिल्डिंग स्थायी संरचना की होगी जिसकी दीवारें अच्छी सीमेंट से युक्त या टाईल वाली होंगी और जिसकी फर्श आसानी से धुलाई योग्य बिना क्रीविसेस होंगी ।

(घ) दरवाजों और खिड़कियों में मक्खी और कीट प्रुफ, तार की जाली लगी होगी और डोर क्लोजर लगे दरवाजों को वरीयता दी जा सकेगी ।

(ड.) जहां भी प्रसंस्करण में पानी का उपयोग किया जाता है यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वह शुद्ध और पेय है तथा किसी विकृतिजन्य सुक्ष्म-जीवों से मुक्त हैं ।

(च) परिसर में अगृहीत पानी के बहाव के लिए उचित जल निकास की व्यवस्था होगी जो पूर्णतः ढकी हुई होगी और प्रायः साफ होती रहेगी । नाली से कोई खराब गंध नहीं आएगी । नाली का निकास दूर मल पाइपों या सिस्टम में मिला दिया जाएगा ।

(छ) परिसर में कृतन्क संदूषण और कीट ग्रसन से मुक्त पर्याप्त भंडारण सुविधा होगी ।

(२) उपस्कर और बर्तन --

(क) सभी उपस्कर और बर्तन स्टेनलैस स्टील या खाद्य सम्पर्क उपयोजनों के लिए उपयुक्त संक्षारक प्रतिरोधक सामग्री के बने होंगे, और

(ख) वे जंग या संक्षारक पदार्थों या किसी अन्य धात्विक और विषालु संदूषणों से मुक्त होने चाहिएं ।

(३) नमूना लेने की पद्धति, विश्लेषण, सीलबंद करने, पैकजों के चिन्हांकन, अभिलेख रखने और विवरणियां आदि प्रस्तुत करने के बारे में सभी अनुदेशों का, जो कृषि विपणन सलाहकार या उसके द्वारा सम्यक् रुप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा समय-समय पर जारी किये जा सकेंगे, प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ द्वारा कठोरतापूर्वक पालन किया जाएगा ।

------५

९. प्राधिकार प्रमाण-पत्र का निलम्बन या रद्दीकरण :- श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम, १९८८ के नियम ७ में विनिर्दिष्ट शर्तों के अतिरिक्त प्राधिकार प्रमाण-पत्र को निलंबित या रद्द किया जाएगा यदि कोई उसका धारक निम्नलिखित शर्तों का पालन करने में असफल रहता है -

(i) परिसर और उपस्कर समय-समय पर रोगाणुनाशित होने चाहिएं ताकि स्वास्थ्यप्रद और स्वच्छता संबंधी परिस्थितियों को उच्च दशा में रखा जा सके जिसका स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा कालिकतः निरीक्षण कराया जाएगा और एक प्रमाण-पत्र अभिप्राप्त किया जा सकेगा;

(ii) ग्रिन्डर और अन्य उपस्कर कालिकतः साफ किये जाने चाहिए;

(iii) कोई भी विषैली या अनुज्ञेय से भिन्न अविषालु सामग्री प्राधिकृत परिसर में भंडारित नहीं की जाएगी;

(iv) रेजिन लेपित बर्तनों की दशा में पुनर्लेपन प्रत्येक ३ वर्षों के पश्चात् किया जाएगा और पैकर को इस आशय का एक प्रमाण-पत्र देना पड़ेगा;

(v) उत्पाद को प्रसंस्करण और पैकिंग में लगे हुए कार्मिक के स्वास्थ्य की चिकित्सीय जांच वर्ष में कम से कम एक बार कराई जानी चाहिए;

(vi) प्राधिकृत पैकर सिवैंया, मैकरोनी और सेंवई के विश्लेषण और श्रेणीकरण और चिन्हांकन के निष्पादन के लिए अनुमोदित रसायनज्ञ को सभी आवश्यक सुविधाएं और सहायता उपलब्ध कराएगा;

(vii) प्राधिकृत पैकर और अनुमोदित रसायनज्ञ उत्पाद प्रसंस्करण में प्रयुक्त कच्ची सामग्री और उनके विश्लेषण का उचित अभिलेख रखेगा । वह श्रेणीकरण और चिन्हांकन नियम के नियम ३(८) के अनुसार कृषि विपणन सलाहकार द्वारा जारी सुसंगत श्रेणीकरण और चिन्हांकन अनुदेशों में विहित प्रोफार्मा में विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय को कालिकतः विवरणी भी भेजेगा ।

अनुसूची-१
(नियम ५ देखिए)
एगमार्क प्रतिकृति का डिजाइन

वस्तु का नाम -----------------------
श्रेणी ----------------------

----६

अनुसूची-२
(नियम ३ और ४ देखिए)

सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई के श्रेणी अभिधान और क्वालिटी

श्रेणी अभिधान	क्वालिटी					
	आर्द्रता (अधिकतम)	कुल भस्म (शुष्क आधार पर) (अधिकतम)	अम्ल अविलेय भस्म (शुष्क आधार पर) (अधिकतम)	*नाइट्रोजन (शुष्क आधार पर) (न्यूनतम)	पाक परीक्षण दलिया में कुल ठोस (अधिकतम)	अम्लता मुक्त (उत्पाद) का प्रति १०० ग्राम १ एन का एन.ए.ओ. एच. विलेय) (अधिकतम)
१	२	३	४	५	६	७
विशेष	१०	०.७	०.०५	१.८०	८	३
मानक	१२	१.०	०.१०	१.७०	८	४

*कुल प्रोटीन (एन X ५.७) के रुप में संगणित की जा सकेगी जहां एन. द्रव्यमान के अनुसार कुल नाइट्रोजन प्रतिशतता के लिए है और ५.७ संपरिवर्तनकारक है ।

वर्णन	साधारण अपेक्षाएं
८	९

सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई से खाद्य मूंगफली १. मैकरोनी, मोटी सेंवई और सिवैंया अच्छे आटा, टैपियोका
आटा, सोया आटा, दुग्ध पाउडर, लाक्षणिक रंगों, सुरुचिक और गंध वाली मसालों विटामिनों खनिजों,
खाद्य केसीन, खाद्य तिलहन होगी और विकृत गंधिता सड़ना, तिक्तता आटा, ग्लूटेन, वनस्पति या वनस्पति
उत्पादों, फलों या किसी अन्य अवांछित स्वाद या गंध और फल उत्पादों के तत्वों का किसी आकार या रुप
मुक्त होगी । यह अशुद्धियों, किसी बाह्य में गुंधी सूजी या मैदा से अभिप्राप्त उत्पाद अभिप्रेत
पदार्थ डिम्बक, गंदगी कृतंक रोग, उत्सर्ग यह मिलाए गये रंग, गंदगी, धूल, कीट, डिम्बक
है । कीट खंड, जीवित या मृत, दरारों, फलां,
और अशुद्धियों या किसी अन्य बाह्य पदार्थ से मुक्त फफूंदी, कीट ग्रसन या अन्य खराबी से भी
होगा । मुक्त होगी । सामग्री अपना स्वरुप
बनाए रखेगी और बिखराव के कोई चिन्ह
दर्शित नहीं करेगी और जब अधिक उबलते

------७

हुए पानी में डाल दी जाती है तो काफी फूल जाती है जब १० मिनट के लिए उबाली जाती है । पकने की महक अच्छी होगी और बिना आक्षेपणीय स्वाद और गंध के होगी ।

सिवैंया, मैकरोनी और मोटी सेंवई के रुप और विस्तार नीचे दिये गये अनुसार होने चाहिए :-

१. सिवैंया:- यह सामग्री ०.५ और १.२५ मि.मी. व्यास के ठोस राईस के रुप में होनी चाहिए ।

२. मैकरोनी:- सामग्री दो किस्म की हो सकेगी लम्बा सामान या कर्तित सामान

(क) लम्बा सामान, नलिकाकार राड्स, सिंध या नालीदार के रुप में होने चाहिए । इनके बाहरी व्यास की परिमाम ३ और ५ मि.मी. और जिसकी भित्ती की मोटाई लगभग १ मि.मि. होना चाहिए ।

(ख) कर्तित सामान बहिर्बेधन द्वारा अभिप्राप्त किया जाना चाहिए और कोहनी, ट्यूब शैल्स, अक्षरों, अंकों, सितारों, पहियों अंगूठियों, चावल, तरबूज के बीजों के रुप में जैसा क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच सहमति अनुसार हो सकेगा ।

३. मोटी सेंवई :-

यह सामग्री १ मि.मी. के ठोस राईस के रुप में होनी चाहिए ।

सामग्री छूने में सिन्ध होगी और उसमें कोई मिलाए और गये रंजीत पदार्थ नहीं होंगे ।

२. समृद्धिः
क्रेता और आपूर्तिकर्ता के बीच करार के अधीन रहते हुए सामग्री की निम्नलिखित में से एक या अधिक से प्रबलीकृत किया जा सकेगा — अर्थात

(क) खनिज-कैल्शियम, फासफोरस और लोहा ।
(ख) विटामिन-ए, बी कम्पलैक्स और डी ।

३. उत्पाद ऐसी कच्ची सामग्री और ऐसी क्वालिटी के तत्वों से अभिप्राप्त किया जाएगा जो समय-समय पर यथा-संशोधित खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, १९५४ और खाद्य अपमिश्रण नियम, १९५५ की आज्ञापक अपेक्षाओं को पूरा करता है ।

४. उत्पाद का अपना प्राकृतिक रंग होगा ।

५. उत्पाद में एफलाटाक्सिन प्रति किलो ३० माइकोग्राम से अधिक नहीं होगी ।

६. उत्पाद खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, १९५५ और समय-समय पर उसके संशोधन के अनुसार प्राकृतिक रुप से उसमें मिले विषाक्त पदार्थों (नियम ५७-ख), कीटनाशी और नाशक जीवमार अवशिष्ट (नियम ६५) था जहरीली धातुओं (नियम ५७) के संबंध में निर्बंधनों का पालन करेगा ।

(फा. सं.-१८०११/७/९७-एम-II)

पी०के० अग्रवाल, संयुक्त सचिव (कृषि विपणन)